संख्या: 267/2015/2057/35-4-2015

प्रेषक,

राम रेखा पाण्डेय,
सयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक 27 अगस्त, 2015**

विषय- **वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगरीय सांख्यिकीय एवं भवन मूल्यांकन योजना "ऊषा" हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 608/ले0-17/2012(ऊषा), दिनांक 22.07.2015 का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा नगरीय सांख्यिकीय एवं भवन मूल्यांकन योजना "ऊषा" के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2014-15 में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त/स्वीकृत धनराशि रू0 2.24 करोड़ के सापेक्ष अवशेष बची धनराशि रू0 1,99,90,359/- की स्वीकृति वर्ष 2015-16 में निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- प्रश्नगत योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में अवशेष बची धनराशि रू0 1,99,90,359/- को भारत सरकार के पत्र संख्या: N-11027/43/2007-JNNURM/NBO-Pt., दिनांक 15.07.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष में प्रश्नगत योजना हेतु रू0 2.24 करोड़ की बजट व्यवस्था उपलब्ध है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय सांख्यिकीय एवं भवन मूल्यांकन योजना "ऊषा" हेतु गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में अवशेष बची धनराशि रू0 1,99,90,359/- (रू0 एक करोड़ निन्यानबे लाख नब्बे हजार तीन सौ उनसठ मात्र) को व्यय हेतु श्री राज्यपाल आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

4- यह स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गई है जिसका कडाई से अनुपालन किया जाय।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित मद के समक्ष अंकित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। अत: व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन/अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पूर्व प्रत्येक दशा में शासन/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6- स्वीकृत धनराशि का आहरण संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा तथा आहरित धनराशि को पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।

7- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8- स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

9- इस संबंध में होनेवाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक "3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनागत-008-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0103-नगरीय सांख्यिकी एवं भवन मूल्यांकन योजना "ऊषा" (के. 100/रा.0-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 के प्रस्तर-2(14)(क) में उल्लिखित आदेशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 267/2015/2057 (1)/35-4-2015-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थर्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. शोध अधिकारी, भारत सरकार हाउसिंग एण्ड अरबन पावर्टी एलिवियेशन (नेशनल बिल्डिंग आर्गेनाइजेशन) 'जी' विंग निर्माण भवन, नई दिल्ली।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
7. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
8. नियोजन अनुभाग-1
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।